

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

सं०सं०-०१/६९१०(का०५२१०)-०५/२११८-१५१५ / न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक २५/३/२०२०

सुश्री जया (बि०न०से०), कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बाढ़ के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक-१४४१० दिनांक-२३.१२.१९ द्वारा कार्यालय पर कोई नियंत्रण नहीं होना, जिलास्तरीय बैठकों में भी इनका कार्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण में कमी, कार्य निष्पादन में अभिरुचि का अभाव तथा संवादहीनता प्रतिवेदित किया गया है।

२. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का अनुशंसा किया गया है। जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, २००५ के नियम-९(१) के तहत सुश्री जया (बि०न०से०), कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बाढ़ को अगले आदेश तक के लिए आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया जाता है।

३. निलंबन अवधि में सुश्री जया को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, २००५ के नियम-१० के तहत अनुमान्य दर से जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

४. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त, पटना का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

५. सुश्री जया के विरुद्ध आरोप पत्र एवं विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(अभय राज)


सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-०१/६९१०(का०५२१०)-०५/२११८-१५१५ / न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक २५/३/२०२०

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनाार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- महालेखाकर, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पटना/सुश्री जया (बि०न०से०), कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बाढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


२५/३/२०२०
सरकार के विशेष सचिव